कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक 3404/न्या.लिपिक/कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 24/04/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क सं पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध (Social Distancing) की सख्त हिदायत है। प्रायः यह देखने में आता है कि लोगों के द्वारा गुटका, तम्बाकू एवं गुड़ाखू का सेवन कर सार्वजनिक स्थल पर जगह–जगह में थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है, ऐसी स्थिति में (Epidemic act 1897) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रायगढ़ जिले में गुटका, तम्बाकू एवं गुड़ाखू के क्रय–विक्रय पर तत्काल रोक लगाया जाता है।

यह आदेश सम्पूर्ण रायगढ़ जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो दिनांक 03/05/2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 भा.द.वि. के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 24/04/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(यशवन्त कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक 3404/न्या.लिपिक/कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 24/04/2020

प्रतिलिपि :–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2– सचिव, छ0ग0शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।

3– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

4– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर जोन को सादर सूचनार्थ।

5– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं कृपया आदेश का पालन सुनिश्चित करावें।

6– अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

Document/ Korona/JC-067

7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8- सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.), जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया (COVID-19) पीड़ित मरीजों को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु उक्त स्थल को अपने अधिपत्य में लेकर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना सुनिश्चित करें।
11- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी परिषद् रायगढ़ एवं समस्त नगर पंचायत, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12- सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13- सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, जिला-रायगढ़ को प्रेस रिलीस जारी कर समस्त दैनिक समाचार पत्रों, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित हेतु।
14- जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15- तहसीलदार, सर्व......................................जिला-रायगढ़ को सूचनार्थ। कोटवारों के माध्यम से मुनादी भी करायें।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Document/ Korona/JC-068